

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर  
पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद-पत्र संख्या : 42/2016  
वाद दायरी दिनांक : 18/03/2016  
निर्णय दिनांक : 18/01/2021

विजय सिंह पुत्र स्व० मान सिंह जाति राजपूत निवासी गंग्यासर हाउस, झारखण्ड  
महादेव के नजदीक क्वींस रोड जयपुर जिला जयपुर राज०

— वादी

बनाम

1. सुमत कंवर पत्नि श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी सी/ओ मुकुल सिंह पुत्र  
ठाकुर हरि सिंह निवासी 55 सुरजनगर, पूर्व सिविल लाईन जयपुर जिला  
जयपुर राज०
2. राजेश कुमार पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी तरनाउ तहसील जायल  
जिला नागौर राज०
3. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज०

— प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा  
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955)

उपस्थिति - श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत  
श्री रामजीलाल शर्मा  
श्री संजय सिंह सिरोही  
विद्वान् अधिवक्ता वादी



श्री प्रमोद कुमार जैन  
विद्वान् विद्वान् अधिवक्ता  
प्रतिवादी संख्या 1

श्री उदय सिंह चौधरी  
श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी  
विद्वान् विद्वान् अधिवक्ता  
प्रतिवादी संख्या 2

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 18/01/2021

—: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरुद्ध  
प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) दूदू

प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है। विवादित आराजी खतौनी संख्या 952 के आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 2.63 हैक्टेयर वाके ग्राम बोरज तहसील मौज्जाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें हिस्सा 238/263 वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रहा है, लेकिन पारीवारिक विभाजन से उक्त आराजी वादी को प्राप्त होने से काबिज काश्त वादी तन्हा ही है इससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी भी कोई सम्बंध व सरोकार नही रहा है जिसके साबिक खसरा नम्बर 141 रकबा 2.6300 हैक्टेयर वाके ग्राम बोरज तहसील मौज्जाबाद जिला जयपुर है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारजन की विभिन्न आराजीयात विभिन्न स्थानों पर स्थित रही है, जिसका हवाला पारीवारिक विभाजन में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं इनके अन्य हिस्सेदारान के नाम से बंटवारा में दर्ज किया हुआ है, उक्त समस्त आराजी स्व0 मान सिंह जी द्वारा समय समय पर क्रय करके अपने चारो पुत्रों के नाम दर्ज करवाते रहे और उक्त आराजीयात वादी के पिता की एवं अर्जित आय से क्रय की गयी थी, जिसका पारीवारिक बंटवारा दिनांक 14.6.1987 वरवक्त पिता की मौजूदगी में चारो भाईयों की सहमति से कर दिया था और वरवक्त प्रतिवादीनी संख्या 1 ने अपने हस्ताक्षर बंटवारा पत्र में कर दिये थे। आपसी सहमति से बंटवारा दिनांक 14.06.1987 को जरिये एक लिखावट सभी वारिशान के मध्य स्व0 मान सिंह जी ने करके अपने हस्ताक्षर बतौर साक्षी दर्ज करते हुये मौके पर कब्जा संभला दिया था तभी से वादी तन्हा खसरा नम्बर 221 रकबा 2.6300 हैक्टेयर में दर्ज हिस्सा 238/263 पर काबिज चला आ रहा है और मौके पर काश्त कर बिना किसी अडचन के एवं बाधा के काबिज रहे है लेकिन आपसी समयाभाव की वजह से अब तक राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त नही करवा पाये। वादी के बडे भाई एवं माता का देहान्त हो जाने पर बडी बहू को उसका बंटवारा अपने जीवनकाल में ही देने के लिए बंटवारा किया था जो रजामंदी से किया गया था क्योंकि सभी अलग अलग जगहो पर रहने लगे थे और कभी कभी ही आपस में मिला करते थे इसलिए समयाभाव की वजह से स्व0 मान सिंह जी ने अपने स्तर पर ही चारो बच्चो में विभाजन किया था ताकि भविष्य में कभी विवाद नही हो यह सोचकर बंटवारा कर दिया था शादी विवाहो में ही या गमी के समय ही एक साथ परिवारजन होते थे इसलिए बंटवारा होना आवश्यक हो गया था। विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध सरोकार नही है प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हिस्से की आराजी वादी का तन्हा हिस्सा है एवं मौके पर काबिज होने से बंटवारा में प्राप्त होने से नाम लगवाने के लिए कई बार प्रयास किये लेकिन सम्पर्क



सहायक कलेक्टर  
(कॉस्ट ट्रेक) वृद्ध

होने के बावजूद आश्वासन ही मिलता रहा लेकिन परिणाम नहीं आया अन्य प्रकरणों में व्यस्त रहने से इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया मजबुरन वादी ने दिनांक 15.02.2016 को अंतिम रूप से आराजी नाम लगाने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया तब वादी ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया और वाद प्रस्तुती के पश्चात ही प्रतिवादी संख्या 1 ने मौका पाकर वादी के हितों को प्रभावित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित आराजीयात में दर्ज हिस्सा को दिनांक 02.03.2016 को नुमायशी विक्रय कर दिया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण संख्या 1469 दिनांक 11/03/2016 को अपने हक में प्रतिवादी संख्या 2 ने खुलवा लिया। वादी को प्राप्त आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2016 को नुमायशी रूप से प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के हक में गैर कानूनी रूप से विना किसी अधिकार के दौराने वाद गलत रूप से विक्रय किया है। वादी जब अपनी आराजी को संभालने दिनांक 15.03.2015 को गया तो मौके पर प्रतिवादी संख्या 2 आया और ऐलानिया धमकी देने लगा कि आराजी को मैंने क्य कर लिया है आयंदा आराजी पर आने की जरूरत नहीं है तब वादी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में विक्रय होने की जानकारी हुयी और यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 952 खसरा नम्बर 221 रकबा 2.6300 हैक्टेयर वाके ग्राम बोरज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में हिस्सा 238/263 का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। वादी का विवादित आराजी पर मुतबातिर बिना किसी बाधा के लगातार 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है जिसके लिए धारा 63(1)(4) रा.टी.एक्ट के तहत वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनांक 15/11/2016 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री उदय सिंह चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 26/12/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री आर.एस. यादव द्वारा वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में वादी के वाद के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये अंकित किया



Handwritten signature and stamp of the District Court, Jaipur, with text in Hindi.

है कि वाद पत्र का मद संख्या 03 में वादी ने अंकित किया है कि स्वर्गीय मान सिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में विभिन्न सम्पतियां अर्जित की गईं, जिनका विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 को जानकारी है कि ज्यादातर सम्पतियों पर कब्जा वादी का है और वादी धनबल और बाहुबल की वजह से ईमानदारी से बंटवारा होने में दखल दे रहा है परन्तु वादी ने बदनियति से उक्त मद में यह खुलासा नहीं किया है कि खातीपुरा बीड व ग्राम धानक्या एवं ग्राम बोराज और पुष्कर में कब कब कौन कौन से खसरा नम्बर की व कितनी कितनी आराजीयात मान सिंह जी के द्वारा किन किन के नाम खरीद की गई तथा उनकी आज क्या स्थिति है इससे साफ जाहिर है कि वादी न्यायालय के समक्ष साफ हाथों से नहीं आया है वास्तविक तथ्यों को छिपा रहा है जिसके आधार पर दावा खारिज किये जाने योग्य है। दावे का संख्या 05 जिस तरह से अंकित किया है अस्वीकार है। वादी का यह कहना गलत है कि वादी के बड़े भाई व माता का देहान्त हो जाने पर बंटवारा किया गया था बकौल वादी यदि स्व0 मान सिंह जी ने अपने स्तर पर चारों बच्चों में विभाजन किया था ताकि भविष्य में विवाद उत्पन्न नहीं हो। यदि यह मान भी लिया जावे कि वादी का उक्त सत्य है तो बंटवारे की स्वीकृति के लिए स्व0 मान सिंह के सभी वारिसानों को मौजूदा दावे में व ए डी जे दूदू के समक्ष किये गये दावे में सभी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था परन्तु वादी ने ऐसा न कर यह साबित किया है कि पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हुआ तथा सभी पक्षकारों की सहमति नहीं थी। वाद पत्र का मद नम्बर 06 जिस तरह से अंकित किया है अस्वीकार है, वादी का यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि वादी का उक्त आराजीयात से कोई सम्बंध न ही है प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात की रिकार्डेड मालिक एवं काबिज काश्त रही है और उक्त आराजीयात को विक्रय करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर खड़े होकर हल चलवाकर केता को कब्जा सौंपा है और प्रतिवादी संख्या 2 ने विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 11.03.2016 को अपने हक में नामांतरण खुलवाया जाने की जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। वाद पत्र का मद नम्बर 07 जिस तरह से अंकित किया है अस्वीकार है। वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2016 को बातिल एवं बेअसर व शून्य घोषित



*[Handwritten Signature]*  
 सहायक कलक्टर  
 बीड (बीड) जिला

कराने के लिए सक्षम न्यायालय ने दावा पेश कर दिया है परन्तु वादी माननीय न्यायालय से भी विक्रय पत्र शून्य घोषित कराने का अनुतोष प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार वादी एक ही अनुतोष को दो न्यायालयों से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसलिए वादी का वाद कानूनी रूप से बाधित है एवं खारिज किये जाने योग्य है वादी यह तय करे कि उसे दोनो दावों में से कौनसा दावा चालू रखना है और कौनसा दावा विद्दो करना है। वादी ने यह गलत अंकित किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2016 बिना प्रतिफल बिना कब्जा दिये निष्पादित किया हो और विक्रय पत्र नुमायशी विक्रय पत्र की परिधि में आता हो, यह तथ्य मात्र वादी की कल्पना में है, इसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 को इस तथ्य की भलीभाती जानकारी है कि वादी का वादग्रस्त आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कभी काबिज काशत रहा है तो वादी द्वारा लिखित 12 वर्ष से अधिक का कब्जा काशत होने वाली बात लिखना यह साबित करता है कि वादी का उक्त जमीन पर कोई स्वामित्व अधिकार नहीं है और कब्जे का कथन स्वतः ही निराधार साबित हो जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को शांतिपूर्वक वादग्रस्त आराजी विक्रय कर कब्जा संभलाया है तो प्रतिवादी संख्या 2 दिनांक 15.03.2016 को वादी को क्यों धमकी देगा। यदि ऐसा है तो वादी स्वयं ऐसे तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। तमाम बाते वादी ने बिना किसी कारण बढा चढा कर अंकित की है जो सरासर विधि विरुद्ध है। वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में वादी को किसी तरह का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह ना ही तो वादग्रस्त आराजी का खातेदार है ना ही काशतकार है मात्र कयाशों के आधार पर अपने आप को मालिक मानकर मौजूदा दावा प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को खारिज करवाने का निवेदन किया हैं।

दिनांक 09/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं कायम जाहिर किया। पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गयी।



दिनांक 20/08/2019 को प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज सूची किता 5 पेश की गयी, जो शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 03/09/2019 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री प्रमोद कुमार जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तनकीयात कायम की गयी।

दिनांक 09/10/2019 को वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 14(1) व 151 जा0 दी0 पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 14/10/2019 को वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश न कर बहस करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये गये।

दिनांक 13/11/2019 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 विजय सिंह, पी.डब्ल्यू 2 डूंगर सिंह, पी.डब्ल्यू 3 मदन सिंह के शपथ-पत्र पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये, जिनके पर दिनांक 17/12/2019 को बयान लिये जाकर जिरह अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की गयी।

दिनांक 24/11/2020 को प्रतिवादी द्वारा गवाह डी.डब्ल्यू 1 राजेश कुमार, डी डब्ल्यू 2 मोहन सिंह शपथ-पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जिन पर दिनांक 16/12/2020 को बयान लिये जाकर जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गयी। वकील प्रतिवादी ने गवाह डी.डब्ल्यू 3 सुमत कंवर का शपथ-पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 24/12/2020 को जिरह वादी द्वारा की गयी। वकील प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया। साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित बहस का जवाब देते हुये लिखित बहस पेश की गयी। जो शामिल पत्रावली की गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी खतौनी संख्या 952, नकल मिलान क्षेत्रफल, रसीद किता 2, फोटो प्रति बंटवारा दिनांक 14/06/1987, फोटो प्रति मुख्याार आम दिनांक 31/12/1999, 17/12/1990 व फोटो प्रति विकय-पत्र दिनांक 02/03/2016,



*[Handwritten Signature]*  
 सहायक कमिश्नर  
 (फास्ट ट्रेक) पट्ट

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम संख्या 11 में प्रस्तुत वाद-पत्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं जवाबदावा के साथ प्रस्तुत दस्तोवजात प्रदर्श डी 1 बेचान नामान्तरकरण संख्या 1510 ए, प्रदर्श डी 2 नामान्तरकरण विरासत, प्रदर्श डी 3 ना0स0 1469 विक्रय, प्रदर्श डी 4 नक्शा, प्रदर्श डी 5 विक्रय-पत्र तथा साक्ष्य गवाहान का अवलोकन किया तथा अवलोकन से प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :-

तनकी संख्या 1 :- "आया वादी खसरा नम्बर 221 रकबा 2.6300 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में हिस्सा 238/263 का काश्तकार खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।"

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं। वादी ने वाद पत्र के मद नम्बर 03 में अंकित किया है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर स्वर्गीय मान सिंह जी द्वारा अपनी अर्जित आय से खरीद की थी तो सबसे पहले वादी को तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि वाद पत्र में अंकित खसरा नम्बर की जमीन को स्वर्गीय मान सिंह जी द्वारा अपनी स्वयं अर्जित आय से खरीद किया था परन्तु सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय मान सिंह जी द्वारा खरीद की गई वादी द्वारा प्रतिवादी सुमत कंवर से भी जिरह की है उन्होंने भी अपने जवाब, शपथ पत्र, जिरह में एक शब्द भी यह नहीं कहा है कि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय मान सिंह द्वारा अपनी स्वयं अर्जित आय से कय की थी, जबकि प्रदर्श डी-5 विक्रय-पत्र है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात प्रतिवादीनी संख्या 1 के पति भंवर सिंह ने कय की है, इसलिए वादी तनकी नम्बर 01 को सिद्ध करने में सम्पूर्ण रूप से विफल रहा है। वादी ने वाद पत्र की मद संख्या 03 में मुख्य आधार यही लिया है कि वादग्रस्त सम्पति स्वर्गीय मान सिंह जी द्वारा अपनी स्वयं अर्जित आय से खरीद की गई थी परन्तु वादी ने उक्त तनकी को सिद्ध नहीं किया है यदि वादी उक्त तनकी को सिद्ध कर देता तब तथाकथित बंटवारनामा दिनांक 14.06.1987 की वैधानिकता पर विचार किया जाता क्योंकि जब वादग्रस्त आराजी स्व0 मान सिंह द्वारा स्वयं अर्जित आय से खरीदी जाती और वादी अपने अभिवचन, साक्ष्य जिरह और दस्तावेज से इस बात को सिद्ध देता तभी बंटवारनामों की वैधानिकता पर विचार किया जा सकता था। जब वादी वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय मान सिंह जी द्वारा खरीद करने वाली बातों को सिद्ध करने में



सहायक कमिश्नर  
(आय) जयपुर

असफल रहा है तो बंटवारनामें वाली बात पर कानूनी रूप से विचार ही नहीं किया जा सकता। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह पाया जाता है कि वादी का वाद-पत्र का प्रमुख आधार बंटवारानामा दिनांक 14/06/1987 हैं। वादी ने उक्त बंटवारानामा के आधार पर वाद में वर्णित भूमि अपने हिस्से में आना बताते हुये विवादित भूमि बाबत घोषणा चाही हैं। प्रथमतः तो न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि जो बंटवारानामा वादी द्वारा दिनांक 14/06/1987 को होना बताया जा रहा है वह रजिस्टर्ड है या नहीं? तथा उसकी शर्तों की पालना हुयी या नहीं? बंटवारानामा को देखने से यह पाया जाता है कि बंटवारानामा अनरजिस्टर्ड है, जो किसी सक्षम पंजीयन कार्यालय के यहां रजिस्टर्ड नहीं हैं। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को कानूनन न्यायालय में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Western Law Cases (Raj.) UC 2010 Page No. 524 पेश की है, जिसमें निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया गया है -

Registration Act, 1908, S. 17(1)(b) – Document- Registration- Preamble of document recording fact of partition having already taken place and executed to avoid future dispute- Document not being registered, not admissible in evidence. (Para 6)

इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है, जिसमें यह प्रतिपादित है कि दस्तावेज अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं एवं बंटवारनामा का कोई इम्पलीमेंट आज दिन तक नहीं हुआ यह विजय सिंह की जिरह से स्पष्ट है जब बंटवारनामा का इम्पलीमेंट ही नहीं हुआ तो उसके आधार पर दावा लाना ही गलत है एक जगह तो स्वयं विजय सिंह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि पुष्कर वाली जमीन में उसका 1/4 हिस्सा है जबकि तथाकथित बंटवारनामें में पुष्कर वाली जमीन से विजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है इससे स्पष्ट है कि स्वयं विजय सिंह ही तथाकथित बंटवारनामा को नहीं मानता है परन्तु वादी द्वारा अपने लिखित बहस में यह कहा गया कि इस बंटवारनामें में सुमत कंवर की स्वीकारोक्ति है जबकि पत्रावली के अवलोकन से ऐसी कोई स्वीकारोक्ति उक्त बंटवारनामें के सम्बंध में सुमत कंवर की नहीं होना पायी जाती है और ना ही उक्त बंटवारनामें में लिखी गई शर्तों की पालना हुई है और ना ही शर्तों की पालना बाबत कोई दस्तावेज रिकार्ड पर है वादी अपने बयानों से या दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं कर पाया है कि बंटवारे की पालना हुयी है, जबकि स्वयं विजय सिंह अपनी जिरह में यह कहता है कि सुमत कंवर के अलावा अन्य पक्षकार



सहायक कलक्टर  
जयपुर जिला न्यायालय

उक्त बंटवारनामें को स्वीकार करते हैं और बंटवारनामे के हिसाब से ही खातेदारी रिकार्ड पर आ चुकी है जबकि विजय सिंह का जिरह में यह कथन साबित नहीं हो पाता है क्योंकि उक्त बंटवारनामें की पालना के बाबत कोई दस्तावेजात या जमाबंदी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा डी डब्ल्यू 1 सुमत कंवर ने भी स्पष्ट रूप से अपनी जिरह में यह कहा कि वादग्रस्त आराजी उसके पति द्वारा स्वयं खरीद की गई थी और उनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त जमीन सुमत कंवर के नाम अंकित हो गयी। सुमत कंवर वादग्रस्त आराजी की एकमात्र मालकिन एवं स्वामीनी थी। इसलिए उसे अपनी वादग्रस्त आराजी को हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार है इस प्रकार वादी तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने में असफल रहा है।

द्वितीयतः बंटवारा में वादी के अन्य भाईयों के भी हस्ताक्षर हैं, जिनको वादी ने इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, वादी द्वारा बंटवारा में वर्णित सभी पक्षों को प्रश्नगत वाद में पक्षकार कायम किया जाना चाहिये था, जिससे न्यायालय के समक्ष यह स्थिति सामने आ जाती कि क्या बंटवारानामा का पारिवारिक स्तर पर पक्षकारान द्वारा कियान्वयन किया जा चुका है। चूंकि वादी ने बंटवारानामा के सभी पक्षों को पक्षकार कायम नहीं किया है जिससे न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है। बंटवारानामा में रूपयों के लेनदेन की भी बात अंकित है क्या वह लेनदेन भी पक्षकारों द्वारा आपस में किया गया है या नहीं आदि तथ्यों की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं आ पायी है तथा वादी के वाद में नॉन जोईन्डर ऑफ नेससरी पार्टिज का नुक्स है। इसलिये वादी को कानूनन यह न्यायालय घोषणा प्रदान नहीं की जा सकती है।

तृतीयतः वादी ने अपने वाद-पत्र में विवादित आराजी की एडवर्स पजेशन (कब्जा मुखालपाना) के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाने हेतु वाद-पत्र पेश किया है, वादी द्वारा अपने वाद-पत्र में प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 952 पेश की है, उक्त जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज थी, जिसने जरिये विक्रय-पत्र दिनांक 02/03/2016 के द्वारा उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान की जा चुकी है। उक्त विक्रय-पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित आराजीयात कब्जा संभलाया जाना अंकित किया है तथा पूर्व में भी उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रही है, जिससे भी यह पाया जाता है कि उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 का ही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य



*[Handwritten Signature]*  
 सहायक कलेक्टर  
 (फारट डेस) दूरी

गवाहान डी.डब्ल्यू 1 राजेश चौधरी, डी.डब्ल्यू 2 मोहन सिंह, डी.डब्ल्यू 3 सुमत कंवर आदि के बयानों से भी विवादित आराजीयात पर पूर्व में कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 का तथा कय के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 का होना साबित होता है फिर भी एक बार यह मान भी लिया जावे कि बकौल वादी "विवादित आराजीयात पर गत 12 वर्षों से भी अधिक से कब्जा मुखालपाना वादी का चला आ रहा है।" तो भी कब्जे के आधार पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एडवर्स पजेशन लागू नहीं हैं तथा फेमिली सैटलमेन्ट में भी एडवर्स पजेशन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Supreme Appeals Reporter 2018 Page No.205 में यह प्रतिपादित किया गया है कि -

R- Adverse Possession - There can be no adverse possession among the members of one family for want of any animus among them over the land belonging to their family

(A) Adverse Possession - Plea of - Admissibility of - It is a settled law that there can be no adverse possession among the members of on family for want of any animus among them over the land belonging their family.

इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह प्रतिस्थापित कानून है कि पारिवारिक सदस्यों के मध्य किसी प्रकार के विवाद का निस्तारण में कब्जा मुखालपाना को आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार विवेचन ये यह पाया जाता है कि यदि वादी का किसी प्रकार से कब्जा भी विवादित आराजीयात पर अगर हो तो भी वादी कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादी उक्त तनकी संख्या 1 को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 1 विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादीनी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 2 :- "आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त आराजी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। तनकी संख्या 2 स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में है चूंकि वादी तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने में असफल रहा है तो तनकी संख्या 2 जो स्थायी निषेधाज्ञा बाबत है उसका कोई



सहायक न्यायाधीश  
(फास्ट ट्रेक) दूर

अनुतोष वादी को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि तनकी संख्या 2 तनकी संख्या 1 की सहायक है जब तनकी संख्या 1 ही वादी द्वारा सिद्ध नहीं है तो तनकी संख्या 2 का कोई अनुतोष वादी को प्राप्त नहीं हो सकता है चूंकि विवादित आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से है एवं साक्ष्य गवाहान से भी प्रतिवादी संख्या 2 का ही कब्जा काश्त साबित है तो वादी एक रिकार्डेड खातेदार व 2 को पाबन्द करवाने कानूनन अधिकारी नहीं है, क्योंकि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तथा वादी ने तनकी संख्या 1 को भी साबित नहीं किया है, इसलिये तनकी संख्या 2 भी बहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादी तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 4 :- "आया प्रतिवादीया ने विवादित आराजी को बिना कब्जे के नूमाईशी विक्रय-पत्र दिनांक 02/03/2016 बनवाया है।"

तनकी संख्या 6 :- "आया प्रतिवादी द्वारा किये गये विक्रय-पत्र दिनांक 02/03/2016 को निरस्त करवाये बिना वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

चूंकि तनकी संख्या 4 व 6 आपस में दोनों एक दुसरे से जुडी हुयी है, इसलिये उक्त तनकी संख्या 4 व 6 का एक साथ निस्तारण/विवेचन किया जा रहा है।

उक्त तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार वादी पर है तथा तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीया पर है। जहां तक बिना कब्जे के नुमायशी विक्रय पत्र वादी ने होना बताया है जिसे वह सिद्ध नहीं कर पाया है, वादी ने अपने अभिवचनों में बिना कब्जा व बिना प्रतिफल का विक्रय पत्र बताया है जबकि प्रतिवादी सुमत कंवर ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उसका कोई प्रतिफल उक्त विक्रय पत्र के सम्बंध में बकाया नहीं है प्रतिवादी गवाह डी.डब्ल्यू 1 राजेश चौधरी ने स्पष्ट रूप से जिरह में अंकित किया है कि उसने प्रतिफल राशि अदा करके ही विक्रय पत्र निष्पादित किया है और कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी के गवाह डी.डब्ल्यू 3 सुमत कंवर, डी.डब्ल्यू 1 राजेश चौधरी एवं डी.डब्ल्यू 2 मोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से कब्जा राजेश चौधरी का माना है तथा वादी के गवाह मदन सिंह जो कि स्वतंत्र गवाह है उसने स्पष्ट रूप से जिरह में कहा है कि वह राजेश चौधरी व सुमत कंवर को नहीं जानता है यदि वह अपनी जमीन पर आते है तो उसकी जानकारी में नहीं है साथ ही मदन सिंह ने शपथ पत्र में जिरह से उलट शपथपूर्वक बयान किये है परन्तु वह जिरह में टिक नहीं पाया इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह वादी की अभिवचनों का साथ नहीं दे पाया है साथ ही प्रतिवादीगण के समस्त गवाह कब्जे बिन्दू पर भी विचलित नहीं हुये है यहां यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि मौजूदा प्रकरण



सहायक क्लर्क  
(मास्ट ट्रेक) वृद्ध

में सन् 1982 से खरीद आराजी पर खातेदार का कब्जा नहीं होना अंकित करना सरासर वैधानिक बेईमानी है क्योंकि पटवारी का स्पष्ट अंकन 1982 की खरीद के बाद भंवर सिंह के नाम नामांतरण होना जो प्रदर्श डी 1 से स्पष्ट है और भंवर सिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नि सुमत कंवर के नाम हस्तांतरण होना पटवारी की स्पष्ट रिपोर्ट है और गवाहों ने भी अपनी जिरह में इस बात को स्पष्ट किया है कानूनी रूप से भी फ़ैमेली मेम्बर यदि कोई आराजी को संभालता है तो वह उसका कब्जा नहीं माना जा सकता इस प्रकार वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2016 को नुमायशी बताना सरासर गलत है और ना ही वादी उक्त विक्रय पत्र को नुमायशी सिद्ध करने में सफल रहा है, फिर भी यदि एक बार यह मान भी लिया जावे कि विक्रय-पत्र नूमाईशी है, तो विक्रय-पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है, इसलिये वादी को पहले उक्त विक्रय-पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 4 भी विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती हैं तथा तनकी संख्या 6 को प्रतिवादीगण ने बखूबी साबित किया है, इसलिये तनकी संख्या 6 बहस प्रतिवादीगण विरुद्ध वादी तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 5 :- "आया वाद में नोन जोईन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स होने से वाद पोषणीय नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। वादी ने अपने वाद-पत्र में बंटवारानामा दिनांक 14/06/1987 को लेकर वाद पेश किया हैं। बंटवारानामा में वादी के साथ उसके अन्य भाईयों को भी पक्षकार कायम करते हुये लिखा गया एवं हस्ताक्षर भी कराये है, चूंकि बंटवारानामा में अन्य पक्षकार भी है, जिनको वादी ने इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया हैं, वादी द्वारा बंटवारा में वर्णित सभी पक्षों को प्रश्नगत वाद में पक्षकार कायम किया जाना चाहिये था, जिससे न्यायालय के समक्ष यह स्थिति सामने आ जाती कि क्या बंटवारानामा का पारिवारिक स्तर पर पक्षकारान द्वारा कियान्वयन किया जा चुका हैं। चूंकि वादी ने बंटवारानामा के सभी पक्षों को पक्षकार कायम नहीं किया है जिससे न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी हैं बंटवारानामा में रूपयों के लेनदेन की भी बात अंकित है क्या वह लेनदेन भी पक्षकारों द्वारा आपस में किया गया है या नहीं आदि तथ्यों की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं आ पायी है इसलिये वादी के वाद में नॉन जोईन्डर ऑफ नेससरी पार्टीज का नुक्स हैं, इसलिये वादी को कानूनन यह न्यायालय घोषणा



*[Handwritten Signature]*  
 सहायक न्यायालय  
 (कानून) दफ्तर

प्रदान नहीं की जा सकती हैं। इस प्रकार उक्त तनकी को भी प्रतिवादीगण ने बखूबी साबित किया है।


तनकी संख्या 3 अनुतोष

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी संख्या 1, 2, 4, 5, 6 विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण तय हुयी है, चूंकि वादी अपने वाद-पत्र को साबित करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विवादित आराजी खतौनी संख्या 952 के आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 2.63 हैक्टेयर वाके ग्राम बोरज तहसील मौज्जाबाद जिला जयपुर के बाबत साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
दूदू जिला जयपुर राज०।  
(फास्ट ट्रेक) दूदू

# डिग्री मुकदमा इवतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाबदा दीवानी)

अज अदालत सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) इड मुकाम

व इजलारा श्री राजेन्द्र सिंह खोखावत (R.A.S.)

विजय सिंह पुत्र स्व. श्री मनासिंह उम्र 60 वर्ष नाम ① सुमलकर पति अनेर सिंह ② राजेश कुमार पुत्री रामचंद्र  
 भाति राजपुर नि. गडियावर हाउस, झारखंड ③ लक्ष्मीदेव लक्ष्मी लक्ष्मीमाबाद  
 मदादेन के नोजदीक, मवीस रोड, मयपुर दावा वाकत धीववात्मक रक्षाई निबंधाज्ञा  
 राज.

मुकदमा नं. 4-2/2016 सं

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु अधि. श्री राजेन्द्र सिंह खोखावत

व हाजिरो अधि. श्री प्रमोद कुमार जैन

मिनजानिब मुदरुलक पेश हाकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

बादी का वाक बिबादित आराजी खोखानी संख्या 932 के आराजी खोखानी संख्या 221  
संख्या 2.63 हेमेटेर बाकि ग्राफ खोराज लक्ष्मीमाबाद मिया जयपुर के बाबत  
साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

मिज मुवलिग वाकत

साचा इस मुकदमे के गय सूद नशरह फीसदी का आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

वसदत मेरे दस्तखत व गहर अदालत के आज तारीख 18 माह 01 सन 2021 को

जारी की गई।



दस्तखत [Signature]  
 आहवा सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) वरु

मुदई <u>500 (₹)</u>	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
राम्प अर्जी दावा			राम्प अर्जी दावा		
राम्प वकालत नामा			राम्प अर्जी		
व वजह सूबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			वाकत इजराय हुकमनामा		
वाकत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरोंकेत का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।